**संख्या-06/2021-131/58-2021-24/2019टीसी-2**

प्रेषक

**रवि शंकर मिश्र,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी**, 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश में राज्यांश एवं अनिवार्य राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29/बजट/2020-21, दिनांक 25.06.2020 एवं पत्र सं0-39/बजट/2020-21, दिनांक 15.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार से गत वर्ष प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-914.26 लाख में राज्यांश की धनराशि रू0-609.50 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रू0 1023.20 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल प्रस्तावित धनराशि रू02546.96 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-40/2020-990/58-2020-24/2019टीसी-2, दिनांक 08.07.2020 द्वारा धनराशि रू0-1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) (जिसमें केन्द्रांश रू0 600.00 लाख तथा राज्यांश रू0 400.00 लाख है) अवमुक्त की जा चुकी है। अतः अवशेष धनराशि रू0 1546.96 लाख (रू0 पंद्रह करोड़ छियालिस लाख छानबे हजार) (जिसमें केन्द्रांश रू0 314.26 लाख, अनिवार्य राज्यांश रू0 209.50 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रू0 1023.20 लाख) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

**अनुदान सं0-83** (धनराशि लाख रूपये में)

**2401-फसल कृषि कर्म-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109-"पर ड्राप मोर क्राप" माइक्रोइरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के. +रा.)**

| कोड सं0/मद का नाम | आय-व्ययक प्राविधान | पूर्व में अवमुक्त धनराशि | वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|
| 27-सब्सिडी | 2988.12 | 980.00 | 1519.92 |
| 42-अन्य व्यय | 85.78 | 10.00 | 19.88 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 21.78 | 10.00 | 7.16 |
| **योग-** | **3095.68** | **1000.00** | **1546.96** |

(रू0-पंद्रह करोड़ छियालिस लाख छानबे हजार मात्र)

(1) वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित आउटले एवं राज्य सरकास द्वारा एस.एल.एल.सी में निर्धारित लक्ष्यों/कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरुप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन एवं शेयरिंग पैटर्न के अनुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत अन्य व्यय एवं प्रशिक्षण मद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 60:40 निहित होगा। सब्सिडी मद में केन्दांश, राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश का अनुपात शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015, दिनांक 12.07.2017 के अनुसार निहित होगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(12) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी :-

i वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभावन्ति किया जायेगा।

ii योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

iii लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(13) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

http://srisanadesh.up.gov.in

(14) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(15) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(16) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(17) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-789-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश सं0-यू0ओ0-ई-1-78/दस-2021, दिनांक 27.01.2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

**(रवि शंकर मिश्र)**
उप सचिव।

**संख्या-06/2021-131(1)/58-2021, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-7-3/2020-आर0एफ0एस0-III, दिनांक 15.04.2020, एवं पत्र सं0-17-4/2020-आर0एफ0एस0-III, दिनांक 18.05.2020 के संदर्भ में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षक)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
(5) निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(रवि शंकर मिश्र)**
उप सचिव।

http://srasanadesh.up.gov.in